न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 45 / 2024

1 जगदीश पुत्र श्री सेडूराम आयु 59 साल जाति जाट निवासी बोला की ढाणी तन मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट

बनाम

1 रामसिंह पुत्र श्री खेताराम जाति जाट निवासी बोला की ढाणी तन मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार चिड़ावा।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.01.2024 द्वारा उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा उनवानी मुकदमा जगदीश बनाम रामसिंह व अन्य प्रार्थना पत्र अ.धारा. 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नम्बर 15 / 2021

उपस्थिति :
1. श्री अशोक कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 10.1.25

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 15/2021 में पारित निर्णय दिनांक 16.01.2024 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने धारा 251 का आवेदन प्रस्तुत कर स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 269/57 में आवागमन हेतु अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 304/141 में से रास्ता चाहा। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने धारा 251 ए के नियम 69 की पालना नहीं की है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.02.2021 को विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उस दिन जो मौके की स्थिति थी उसके मुताबिक तत्कालीन निकटतम रास्ता वही था जो प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विवेचित किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा स्वविवेक से मंगवाई गई प्रथम मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मौका रिपोर्ट अधिकारी आईएलआर मण्ड्रेला द्वारा कथन किया गया है कि मौके पर खसरा नम्बर 269/57 रकबा 2.0700 हैक्टेयर में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 304/141 में से केवल 4 फीट चौड़ा रास्ता पगडण्डीनुमा दोनों तरफ तारबन्दी किया हुआ पाया गया। उक्त रास्ते को मौके पर चौड़ा करना संभव नहीं है क्योंकि आबादी है एवं पक्के मकानात बने हुए है। इसलिए प्रार्थी जगदीश पुत्र सेडूराम द्वारा चाहा रास्ता ही कटान हेतु प्रस्तावित किया जाता है। जहां से रास्ता प्रस्तावित है वहां पर भूमि मौके पर बिल्कुल खाली है। खसरा नम्बर 269/57 में काश्त हेतु आवागमन हेतु अन्य कोई निकटतम वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ए से बीत के 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 0.1500 हैक्टेयर है। सी क्षेत्र में फलदार पौधे व छायादार कुछ पेड़ है एवं पक्के मकान बने हुए है। डी क्षेत्र खाली पड़ा है। फर्द उपस्थित को पढ़कर सुनाई गई एवं हस्ताक्षर करवाये। विचारण न्यायालय ने उक्त रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए गलत फैसला किया है। पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अपीलांट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि प्रार्थी अपीलांट ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 269/57 ग्राम बोला की ढाणी में आवागमन हेतु अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 304/141 हाल 315/304 में से रास्ता चाहा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2023 के अनुसार प्रार्थी अपीलांट की भूमि में आवागमन हेतु न्युनतम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 311/238 एवं 57 में से है। अपीलांट ने इन भूमियों के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। धारा 251 ए में निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने का विधिक प्रावधान है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट ने अपने खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 269/57 ग्राम बोला की ढाणी में आवागमन हेतु अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट की भूमि खसरा नम्बर 304/141 हाल 315/304 में से रास्ता चाहा है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार चिड़ावा की रिपोर्ट दिनांक 07.02.2023 के अनुसार प्रार्थी अपीलांट की भूमि में आवागमन हेतु न्युनतम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 311/238 एवं 57 में से है। अपीलांट ने इन भूमियों के खातेदारों को पक्षकार संयोजित नहीं किया है। धारा 251 ए में निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने का विधिक प्रावधान है। प्रार्थी अपीलांट द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम दूरी का नहीं होने से विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से प्रार्थी अपीलांट का आवेदन खारिज किया है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारणीय तथ्य यह है कि विचारण न्यायालय के समक्ष तीन बार मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। इन मौका रिपोर्ट से यह तथ्य स्थापित है कि आवेदनकर्ता के पास रास्ते का अभाव है, वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदनकर्ता धारा 251 ए के अन्तर्गत रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। धारा 251 ए में निकटतम दूरी का रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। विचारण न्यायालय को उभयपक्ष की उपस्थिति में स्पष्ट निकटतम दूरी के रास्ते की रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को सुनकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार विचाराधीन प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने ऐसा नहीं कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में धारा 251 ए के प्रावधानों के अनुसार निकटतम दूरी के रास्ते की मौका रिपोर्ट प्राप्त कर वांछित खातेदारों को पक्षकार संयोजित कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)